लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1434
28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देना

1434. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के वस्त्र और कपड़ों के निर्यात का उत्पादवार और बाज़ारवार ब्यौरा क्या है और इसका कुल मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार ने वस्त्र निर्यात को प्रभावित करने वाली वैश्विक मांग में कमी, निर्यात करने वाले अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा और संधारणीयता व गुणवत्ता मानकों के अनुपालन जैसी मुख्य चुनौतियों को चिह्नित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, साथ ही उत्पादन बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई), पीएम मित्र पार्क और निर्यात को बढ़ावा देने वाली पहल जैसी योजनाएं क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, निर्यात बाज़ारों में विविधता लाने और वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किसी अतिरिक्त नीतिगत उपाय का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (घ): भारत का हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल निर्यात, वर्ष 2023-24 में 2,97,004 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 3,25,339 करोड़ रुपए हो गया, जो इस अवधि के दौरान 4.7% की सीएजीआर वृद्धि दर्ज करता है।

भारत का हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल निर्यात (मूल्य करोड़ रुपए में)				
क्र.सं.	मुख्य वस्तुएं	2023-24	2024-25	2025-26
1	रेडीमेड गारमेंट्स	120305	135428	139350
2	कॉटन टेक्सटाइल्स	101495	104064	102427
3	मैन-मेड टेक्सटाइल्स	42059	44788	46254
4	कारपेट	11553	13037	12887

5	जूट उत्पाद	2925	3385	3381
6	रेशम उत्पाद	988	1370	2262
7	ऊन और ऊनी वस्त्र	1593	1355	1566
8	हथकरघा उत्पाद	1162	1201	1359
	भारत का वस्त्र और अपैरल निर्यात	**282079**	**304628**	**309484**
9	हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कारपेट के अलावा)	14925	14945	15855
	भारत का हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल निर्यात	**297004**	**319573**	**325339**

स्रोत: अनंतिम डेटा (लगभग) डीजीसीआईएस

प्रमुख बाजारों में वस्त्र और अपैरल निर्यात – भारत में हस्तशिल्प सहित प्रमुख बाजारों में वस्त्र और अपैरल का निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:

भारत का हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल निर्यात (मूल्य करोड़ रुपए में/देशवार)				
क्र.सं.	**देश**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	यूएसए	83179	92571	85910
2	बांग्लादेश	23340	27845	24445
3	यूएई	16720	18252	20775
4	यू के	16679	18287	19652
5	जर्मनी	10937	12035	13200
6	नीदरलैंड	7990	10190	10461
7	स्पेन	7292	8373	9651
8	फ्रांस	8079	8294	9074
9	इटली	6471	6684	7407
10	श्रीलंका	5762	6919	6997
शेष विश्व		110555	110124	117766
कुल योग		**297004**	**319573**	**325339**

स्रोत: अनंतिम डेटा (लगभग) डीजीसीआईएस

भारत के हस्तशिल्प सहित, वस्त्र और अपैरल के निर्यात में वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में 100 से अधिक देशों में वृद्धि दर्ज की गई।

सरकार नियमित रूप से भारत के वस्त्र और अपैरल निर्यात की निगरानी करती है और निर्यातकों और उद्योग सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ किसी भी समस्या के प्रभाव को कम करने के लिए निरंतर कार्य करती है तथा वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय करती है।

सरकार भारतीय वस्त्र और अपैरल क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों को लागू कर रही है और ये उपाय देश से निर्यात के विकास में योगदान दे रहे हैं। प्रमुख योजनाओं/पहलों में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; समर्थ- वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना; सिल्क समग्र-2; राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम; राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम; व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना; राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट योजना; निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना; निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम), जिसमें निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा शामिल है; और निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसई) शामिल हैं।

सरकार ने 40 प्राथमिकता वाले देशों को कवर करते हुए एक फोकस्ड निर्यात-संवर्धन और बाजार-विविधीकरण रणनीति भी अपनाई है। जिन सोलह मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को लागू किया गया हैं, उनमें भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) शामिल है; और यूरोपीय संघ (ईयू) और न्यूजीलैंड के साथ संपन्न एफटीए भारतीय वस्त्र और अपैरल क्षेत्र को अपने निर्यात को बढ़ाने और बाजार विविधीकरण करने का अवसर प्रदान करते हैं।

भारत सरकार ने पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री चुनौतियों से उत्पन्न समस्याओं से प्रभावित निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत दिनांक 19 मार्च 2026 को रिलिफ (निर्यात सुविधा के लिए रेजिलेंस और लॉजिस्टिक पहल) लॉन्च किया।

घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए अध्याय 5201 के तहत आने वाले कपास के आयात पर सीमा शुल्क को दिनांक 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी रूप से छूट दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने भारत के कपास क्षेत्र में प्रमुख समस्याओं को दूर करने, उत्पादकता वृद्धि में सुधार करने और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है।

सरकार ने अपैरल/गारमेंट और मेड-अप के निर्यात पर सभी अंतर्निहित राज्य और केंद्रीय करों/लेवी पर छूट प्रदान करने और इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए मार्च 2019 से राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) योजना को लागू किया है। इसके अलावा, हाल ही में 30 सितंबर 2026 तक योजना का विस्तार भारतीय वस्त्र निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करता है और नीतिगत स्थिरता प्रदान करता है।
